



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-५, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715547, 2715538 E-mail: modelschoolest@gmail.com



क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प/जय/मॉडल स्कूल/प्रवेश प्रक्रिया/170-II /५१३७

दिनांक : १०/८/२२

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

विषय :- सत्र 2022-23 में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा - 11 में प्रवेश प्रक्रिया के प्राप्तांक में शिथिलन बाबत।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 4(5)शिक्षा-1/2015 दिनांक 30.03.2017 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पत्रांक प. 4(15)शिक्षा-1/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 19.08.2021 एवं पत्रांक 4 (15) शिक्षा-1/मा. स्कूल 2017 पार्ट, जयपुर दिनांक 17.06.2021 एवं परिषद् का पूर्व पत्रांक 3554 दिनांक 26.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2022-23 में राज्य में संचालित 134 मॉडल स्कूलों में कक्षा-11 में विज्ञान संकाय में शत प्रतिशत प्रवेश हेतु कक्षा 10 में समेकित प्राप्तांक तथा संबंधित विषय के प्राप्तांक में निम्नानुसार छूट देते हुए प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

क्र स.	सीबीएसई से संबंध स्कूल/मॉडल स्कूल/अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंध स्कूल	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित संकाय/जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	संशोधित न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत में) छूट के प्रस्ताव	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित/जीव विज्ञान संकाय के लिए संबंधित विषय के प्राप्तांक	संबंधित संकाय (गणित/जीव विज्ञान) संशोधित न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत में) छूट के प्रस्ताव
1	मा. शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	66.50 प्रतिशत	50%	65%	45%
2	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	72.2 प्रतिशत	55%	71 से 80% (B1ग्रेड)	60%

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
- निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, रास्कूशिप. एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
- निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रास्कूशिप., जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर, पाली, जयपुर, जोधपुर, चूर्ण, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक्स को देकर लेख है कि उक्तानुसार कक्षा-11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जावे।
- संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, संबंधित ब्लॉक, उक्तानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर कक्षा-11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करें।
- कार्यक्रम अधिकारी, समसा, संबंधित जिले।
- रक्षित पत्रावली।

10-8-2022
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम
M.L. Sharma



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715522 E-mail: modelschoolrcse@gmail.com



क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / प्रवेश प्रक्रिया-170-ा/ 3554.

दिनांक : 26/07/2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

विषय:- सत्र 2022-23 के लिए स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा-11 में
प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 4 (5) शक्ता-1/2015
दिनांक 30.03.2017, शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन
सचिवालय, जयपुर का पत्रांक-प(15)शिक्षा-1/मा.स्कूल 2017 पार्ट जयपुर दिनांक
19.08.2021 एवं पत्रांक 4(15)शिक्षा-1/मा.स्कूल 2017 पार्ट जयपुर दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विवरणात्मक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2022-23 में राज्य में
संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में कक्षा-11 में विज्ञान संकाय के लिए प्रतिशत की बाध्यता नहीं है।
परन्तु अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के लिए रिक्त सीटों पर शत प्रतिशत प्रवेश हेतु कक्षा-10 में समेकित
प्राप्तांक तथा संबंधित विषय के प्राप्तांक में निम्नानुसार छूट देते हुए प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया
जायें :-

क्र. स.	सीबीएसई से संबंधित स्कूल / मॉडल स्कूल / अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित स्कूल	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित संकाय / जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित / जीव विज्ञान संकाय के लिए संबंधित विषय के प्राप्तांक
1	मॉडल स्कूल हेतु		प्रतिशत की बाध्यता नहीं।
2	मा. शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	66.50 प्रतिशत	65%
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	72.2 प्रतिशत	71 से 80% (B1 ग्रेड)

- सत्र 2022-23 में राज्य में संचालित 134 मॉडल स्कूलों में कक्षा-11 में रिक्त सीटों पर प्रवेश जिला स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. मॉडल विद्यालयों में कक्षा-11 में रिक्त सीटों पर पात्र : 03 अगस्त, 2022
आवेदकों से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
2. चयनित आवेदकों की सूची जारी करना : 08 अगस्त, 2022
3. चयनित आवेदकों से समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर : 12 अगस्त, 2022
प्रवेश दिया जाना

मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति में संशोधन के अनुसार 'संबंधित ब्लॉक' के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश (संलग्न) दिया जावे। रिक्त सीट होने की स्थिति में शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
अतः तदनुसार पालना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :— उपरोक्तनुसार

३१/८/२०२२

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, रास्कूशिप. एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम, रास्कूशिप., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर, पाली, जयपुर, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक्स को देकर लेख है कि उक्तानुसार कक्षा—11 में शत् प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जावे।
9. संरक्षा प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, संबंधित ब्लॉक, उक्तानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर कक्षा—11 में शत् प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करें।
10. कार्यक्रम अधिकारी, समसा, संबंधित जिले।
11. रक्षित पत्रावली।

५२५-२-२०२२
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1 / मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 19 8 2021

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत्।

प्रसंग:- पत्रांक: रा.स्कूल शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / संस्थापन / ई.सी.जी.सी. / 75039-गा / 19889 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा- 11 के लिए प्रवेश हेतु विभाग के पत्रांक: प. 4(15)शिक्षा-1 / 2015 जयपुर दिनांक 30.03.2017 के अनुसार जारी प्रवेश नीति के विन्दु संख्या 3.0 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	सीबीएसई से संबंध स्कूल/ मॉडल स्कूल / अन्य मान्यता बोर्ड से संबंध स्कूल	प्रवेश नीति में कक्षा-11 में विज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जाने हेतु कक्षा-10 में न्यूनतम प्राप्तांक				
		गणित संकाय के लिए	जीव विज्ञान संकाय के लिए	समेकित	गणित	समेकित
1.	मॉडल स्कूल हेतु	प्रतिशत की बाध्यता नहीं				
2	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान. अजमेर से उर्तीण	कक्षा-11 में सीट्स खाली रहने की स्थिति में समय-समय पर पत्रावली प्रस्तुत कर प्रवेश हेतु निर्धारित प्रतिशत में आवश्यकतानुसार ^{छूट} लिया जाना।				
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्तीण					

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,
मातेल
(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- रक्षित पत्रावली।

✓ 19.8.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी—शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1 / मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 17.6.2021

विषय:-

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में
जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत।

प्रसंग:-

पत्रांक: रा.स्कूल शि.प./ जय/ मॉडल स्कूल/ संस्थापन/ ई.सी.जी.सी.
/75039-II/ 19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयात्तर्गत संबंधित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल
विद्यालयों में कक्षा-6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के
विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में 'संबंधित ब्लॉक के
विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को
प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात
कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे"
संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

माननीय
(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- रसित पत्रावली।

17.6.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी—शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (युप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(15)शिक्षा-1 / 2015

जयपुर, दिनांक:- 30.3.17

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल रक्तूल में कक्षा 11 के लिए प्रवेश का क्रम में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल रक्तूल / प्रवेश प्रक्रिया 170-404 दिनांक 19.01.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सत्र 2017-18 से स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल रक्तूलों में कक्षा 11 से विज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जाने के लिए प्रवेश नीति निम्नानुसार रहेगी :-

1.0 प्रवेश समिति:- कक्षा 11 से प्रवेश प्रक्रिया हेतु जिला स्तर पर **स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल रक्तूल** की जाती है -

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं वर्तन विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

विदेशी जिला परियोजना रामनन्दी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

संचालन संस्थान प्रशासन

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल रक्तूल

iv) कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् — सदस्य नहीं

2.0 प्रवेश प्रक्रिया -

2.1. कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए सभी आवेदकों द्वारा कक्षा 10 में सीईएसई व अन्य बोर्ड परीक्षा में प्राप्त सीजीपीए/प्रतिशतता को आधार तैयार योग्यता सूची (Merit List) के आधार पर प्रवेश देय होगा।

2.2. विज्ञान वर्ग हेतु कक्षा 11 में कुल 80 सीटें नियमित हैं।

i. सेक्षण ए में गणित विषय की 40 सीटें रहेंगी।

ii. सेक्षण बी में गणित एवं जीव विज्ञान विषय की 40 सीटें रहेंगी।

2.3. आवेदन सख्ता 4(15)शिक्षा-1/2008 पाठ दिनांक 09.04.2016 तक 30.06.2017 के अनुसार सुपर न्यूमररी सीटों का प्रावधान विन्दु सख्ता 2.2 में नियमित रूप से के अन्तिरिक्त रहेगा।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

Computer ID: K.K. Deshpande collector reference: K.K [M44] K.K.44335 Motor Serial: RMSA

31 मार्च 2017

पत्र ग्राहक

पाँडे 2694

- 2.4. मॉडल स्कूल में कक्षा 11 में असफल/अनुतीर्ण रहे विद्यार्थियों को अगले सत्र में प्रवेश हेतु सीटों की गणना अधिकतम नियमित 80 सीटों के अनुमति हो जायेगी।
- 2.5. लगातार दो सत्र तक असफल/अनुतीर्ण रहे विद्यार्थी मॉडल स्कूल में नियमित अध्ययन के पात्र नहीं होंगे।
- 2.6. प्रवेश में आरक्षण में प्रावधान निम्नानुसार होंगे –
- सच्च के टीएसपी क्लॉब्स एवं बारा जिले के अधिकारी प्रबन्ध क्लॉब्स में प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत का अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।
 - टीएसपी एरिया के सम्बन्धित ब्लॉक्स में आरक्षण यत्वा सरकार के मापदण्डानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।
 - बारा जिले के समस्त ब्लॉक्स में सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत अवाहन होगी, एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।
 - प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटें छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत साथ नियन्त्रित एवं ट्रांसजेष्डर के लिए आरक्षित होगी।
 - प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो शेष सीटें उसी वर्ग के छात्रों से भरी जायेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत नियन्त्रित एवं ट्रांसजेष्डर उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीटें उसी वर्ग के छात्र-छात्राओं से भरी जायेगी।
 - किसी वर्ग हेतु नियमित सीटों के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीट अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।

टिप्पणी –

- उपर्युक्त आरक्षण प्रावधान समस्त 80 सीटों पर नियमानुसार जारी होने के बाले रिक्त सीटों पर।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिते लाल बाले आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

2.7. मेरिट लिस्ट तैयार करते समय निम्नांकित रियायतें लागू की जायेगी -

विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग—गाइडिंग एनसीई एवं अन्य वित्तिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नानुसार रियायत देय होती है। इसके लिए प्रमाण पत्र पूर्व के किसी भी वर्ष का ही सकता है।

क्र. सं	खेलकूद	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल का विज्ञान मेला/सार्वजनिक विज्ञान मेला/Art craft व वाद विवाद/अन्य	एनसीई ए प्रमाण पत्र	स्काउटिंग गाइडिंग	अन्य	अन्य / छूट पाइंट्स में छूट
1.	राष्ट्रीय स्तर पर विजेता / राष्ट्रव्यापक विजेता	राष्ट्रीय स्तर पर विजेता / राष्ट्रव्यापक विजेता	गणतंत्र विजेता प्रथम / प्रदानमात्री दस्ती व प्रतिशब्दाम	राष्ट्रपाल विजेता प्रथम	विजेता / राष्ट्रव्यापक विजेता	सर्वोच्च प्रतिशब्दाम
2.	राज्य स्तर पर विजेता / उप विजेता	राज्य स्तर पर विजेता / उप विजेता	शाखा / जिला स्तर पर विजेता	7 सालां वैज्ञानिक के वर्ष के लिए विजेता	राज्य स्तर पर विजेता	सर्वोच्च प्रतिशब्दाम
3.	जिला स्तर विजेता	जिला स्तर पर विजेता	ए प्रमाण पत्र धाराता	6 वर्षां वैज्ञानिक के वर्ष में साथ तृतीय श्रेणी प्रमाण पत्र	जिला स्तर पर विजेता	सर्वोच्च प्रतिशब्दाम

2.8. अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थी ने एक ही समान सीजीपीए प्राप्त किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

- गणित/ जीव विज्ञान में प्रदेश के लिए जिस अभ्यर्थी ने उन्हें गणित/जीव विज्ञान में अधिक ग्रेड गोइट प्राप्त किया है उस प्रवर्ती प्रायमिकता दी जावेगी।
- अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के गणित/ जीव विज्ञान के ग्रेड गोइट में टाई होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी की प्रायमिकता से प्रत्येक जायेगा।

2.9 उपर्युक्त सारणी में वर्णित सभी वर्षों के अन्तर्गत अधिकतम छूट वर्षों (76 प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी तथा विभिन्न वित्तिविधियों में उस से अधिक छूट की अहंता रखने की स्थिति में अभ्यर्थी को अधिकतम अक्ष वर्षों एक ही छूट का लाभ देय होगा।

टिप्पणी - उपर्युक्त रियायतें प्रवेश के रामबद्ध मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को भी समान रूप से देय है।

3.0 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 10 में न्यूनतम प्राप्तांक :-

क्र. सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल / मॉडल स्कूल / अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूल	गणित सकाय के लिए		जीव विज्ञान सकाय के लिए	
		समेकित	गणित	समेकित	विज्ञान
1	मॉडल स्कूल हनु	7.0 सीजीपीए	B, ग्रेड (61-70%)	7.0 सीजीपीए	B, ग्रेड (61-70%)
2	माध्यमिक विद्या बोर्ड समरेशाम अजमेर	66.5 प्रतिशत	65 प्रतिशत	66.5 प्रतिशत	65 प्रतिशत
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	7.6 सीजीपीए / 72 2 प्रतिशत	B, ग्रेड (71-80%)	7.6 सीजीपीए 72.2%	B, ग्रेड (71-80%)

नोट : सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तन = CGPAx9.5

$$= \dots\dots\dots\%$$

- 3.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों का 11वीं विज्ञान प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड/अपग्रेड अथवा 3.8 प्रतिशत समान विद्यार्थीयों का प्रवेश हेतु योग्यता युक्ती तैयार कर प्रेता दिया जावेगा।
- 3.2 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में अखण्डनारत 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम अर्हता प्राप्त की है वे समर्त विद्यार्थी कक्षा 11 में प्रवेश के लिए होंगे। उसके पश्चात शेष सीटों पर प्रवेश हेतु योग्यता युक्ती तैयार कर प्रेता दिया जाएगा।

- 4.0 जिला स्तरीय समिति हारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समावार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

- 5.0 प्रवेश हेतु आयरशक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रवेश-प्रक्रिया की अतिन तिथि तक कार्यालय में जमा नहीं करवाने पर अस्थायी प्रवेश स्थित हो निश्चित मान जाएगा। सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र राज्य सरकार हारा निर्धारित मापदण्डानुसार ही अन्य दोष किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय आतेर एवं मान होगा।

प्रवेश हेतु समयबद्ध कलैण्डर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत से
निर्धारित कर जारी किया जावेगा। अतः लदनुसार रखानी विवेकानन्द राजकीय माध्यमिक¹
स्कूलों के सचालन हेतु वर्ष 2017-18 से प्रवेश प्रक्रिया सुभिइया की जावेगी।

अतः रखानी विवेकानन्द राजकीय माध्यमिक स्कूल स्कूलों कक्षा 11 के लिये राजस्थान माध्यमिक²
शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रवेश नीति का अनुमोदन किया जाता है।

(आर.एस. झालानी)
मार्ग उप सचिव परिषद

परिणिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शगसन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निदशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर।
4. राजिल पत्रावाही।

(बी.के. गुप्ता)
विशिष्टान्वयन विभाग